कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID:- nodalofficerddn@gmail.com, Phone/Fax: 0135-2767611

पत्रांक– 929 /12–1 देहरादूनः दिनांकः 10 सितम्बर, 2024

सेवा में,

उप महानिरीक्षक (केन्द्रीय),
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–कन्धार–पत्थरखानी से तल्लाधार–ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।**

(प्रस्ताव संख्याः– FP/UK/ROAD/21509/2016)

संदर्भः– भारत सरकार का पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/98/2017/एफ0सी0 /1621 दिनांक 28–12–2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रकरण को भारत सरकार द्वारा अपने उपरोक्त संदर्भित पत्र से कतिपय शर्तों के साथ सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। उक्त के संदर्भ में कार्यदायी संस्था द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या एवं प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा आपने पत्रांक 4244/12–1–2 दिनांक 15–03–2024 से संशोधित दरों के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि जाम किये जाने हेतु मांग पत्र प्रेषित किया गया जिसे इस कार्यालय द्वारा पत्रांक 397/12–1 दिनांक 13–08–2024 से सत्यापित किया गया है। उक्त डिमान्ड नोट के अनुसार एन0पी0वी0 की संशोधित दरों के अनुसार धनराशि जमा कर दी गई है। प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ऑख्या निम्नानुसार प्रस्तुत है–

S.No.	Query Description	Compliance Report
1	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.52 है0 ग्राम काफली कमेड़ा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए यथासंशोधित) जमा की जाएगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व से बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत् स्वीकृति प्रदान की जाएगी।	शर्त सं0 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 5.520 है0 काफली कमेड़ा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रख–रखाव हेतु रु0 15,38,231.00 मात्र (पन्द्रह लाख अड़तीस हजार दो सौ इकत्तीस) मात्र की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं0 U000000522974764 Dt. 05-11-2018 द्वारा किया जा चुका है साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 5.520 है0 ग्राम काफली कमेड़ा का जिलाधिकारी, बागेश्वर के ओदश सं0 45/छब्बीस–वन/2017–18 दिनांक 17–01–2019 द्वारा तहसीलदार कपकोट के पत्रांक 344/र0का0/वन भू0ह0/2019 दिनांक 26–04–2019 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण/नामान्तरण कर दिया गया है। (संदर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रतियां संलग्न है)

2	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकारके पत्र सं0 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य एन0पी0वी0 की धनराशि जमा की जाएगी।	शर्त सं0 2 के अनुपालन में रु0 18,13,320.00 (अठारह लाख तेरह हजार तीन सौ बीस) मात्र एन0पी0वी0 की धनराशि भुगतान UTR नं0 U000000522974764 Dt. 05-11-2018 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है।
3	शुद्ध वर्तमान मूल्य की दरों में यदि बढ़ोत्तरी होती है तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जाएगी।इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचनबद्धता प्रस्तुत की जाए।	शर्त सं0 3 के अनुपालन में सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 की दरों में बढ़ोत्तरी होने पर बढ़ी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धित वचनबद्धता पहले से ही प्रस्ताव में संलग्न है। प्रमाण पत्र पुनः संलग्न है।
4	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गई सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर Online Generate किये गये चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाईन बैंक में जमा किया जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गई धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रुप में मान्य नहीं होगी।	शर्त सं0 4 के अनुपालन में शुद्ध वर्तमान मूल्य एवं सभी दूसरी निधियां RTGS/NEFT के माध्यम से जाम कर दी गई हैं। बैंक से प्राप्त यू0टीआर0 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।
5	सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सम्भव हो सड़क के दोंनों ओर किनारों तथा Central Verge पर प्रयोंक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में Strip Plantation की जाएगी। इस आशय की वचनबद्धता प्रेषित करनी होगी।	शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मर्गा के दोनों ओर रिक्त पड़े स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण–पत्र संलग्न है।
6	State Govt. will review and reply the employment details uploaded at Para E Part-I	बिन्दु सं0–6 के अनुपालन में अवगत करना है कि प्रस्ताव के प्रपत्र–3 में वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति पूर्व से संलग्न है।
7	State Govt. will provide Scheme for planting 3000 trees in liew of 3.00 Ha. area proposed for CA (out of total 5.52 ha area proposed for CA) falling in very dense forest.	5.52 है0 क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु प्रस्ताव की प्रति संलग्न है।
8	State Govt. will provide hard copy (original/attested) of site inspection report of DFO and Part III,IV & V of the proposal.	प्रतियां संलग्न है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित अनुपालन आख्या इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि प्रस्ताव पर तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या ९२५ /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

2– प्रभागीय वनाधिकारी, बोगेवर वन प्रभाग, बागेश्वर।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष / फैक्स नं0 . 05963- 220249 फैक्स नं0 05963 220209

पत्रांक 1244 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 15 / 03 / 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0विभाग,
बागेश्वर।

विषय – **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–कन्धार–पत्थरखानी से तल्लाधार–ग्वादलम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 है0 वन भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।**

सन्दर्भ – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3 / 2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध मे दिशा–निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किए 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव मे भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2017 को सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गयी थी। उक्त प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पॉच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध मे मांग पत्र प्रेषित किया जा रहा है। उक्त अवशेष धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करने के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	घनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	2.760 है0	5	0.1	1005210.00	27,74,380.00	18,13,320.00	9,61,060.00
	कुल योग					27,74,380.00	18,13,320.00	9,61,060.00

AE(L) Annex / 2 AC

DSH Coordinator Bageshwar for n/a.

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\chhapan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक– 397 / 12–1 देहरादूनः दिनांकः 13 अगस्त,2024

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः–जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–कन्धार–पत्थरखानी से तल्लाधार–ग्वादलम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP /UK /ROAD /21509/ 2016)

सन्दर्भः–आपका पत्रांक–4244 / 12–1–2 दिनांक–15.03.2024।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा निर्धारित एन0पी0वी की पुनरीक्षित दरों के अनुसार अतिरिक्त देय एन0पी0वी0 की धनराशि का आंगणन कर सत्यापन हेतु ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से इस कार्यालय को उपलब्ध कराया गया है। उक्त के क्रम में आपके सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत अतिरिक्त देय एन0पी0वी0 के आंगणन को निम्न प्रकार से सत्यापित किया जाता है। तदनुसार प्रयोक्ता अभिकरण को परिवेश पोर्टल पर ऑनलाईन चालान के माध्यम से अतिरिक्त देय धनरशि जमा करवाने हेतु सूचित करने का कष्ट करें।

ईको क्लास	क्षेत्रफल(है0 में)	Stage-I दिनांक	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा किय गये एन0पी0वी0 धनराशि का विवरण			वर्तमान में निर्धारित नई दरानुसार एन0पी0वी0 धनराशि का आंकलन			जमा किये जाने वली अवशेष एन0पी0वी0 की धनराशि (रू0 में)
			औसत घनत्व	दरप्रति है0	धनराशि(रू0 में)	औसत घनत्व	दरप्रति है0	धनराशि(रू0 में)	
V	2.760	28.12.2017	0.1	6,57,000.00	18,13,320.00	0.1	10,05,210.00	27,74,380.00	9,61,060.00

भवदीय,

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),

संख्या 397 / 12–1 तद्दिनांकित

प्रतिलिपिः–अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर0के0 मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक एवं
नोडल अधिकारी, (वन संरक्षण),

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक / बागेश्वर दिनांक : 7 / 11 /2020

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,इन्दिरानगर फारेस्ट कालोनी
उत्तराखण्ड देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–कन्धार–पत्थरखानी से तल्लाधार–ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.760 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भ:– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/98/2017/ एफ0सी0 / 1621 दिनांक 28.12.2017।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में अवगत कराना है, कि उक्त वन भूमि प्रस्ताव पर भारत सरकार द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्तो का बिन्दुवार निराकरण कर प्रस्तावक विभाग द्वारा इस कार्यालय को चार प्रति में प्रेषित की गयी है उक्त प्रस्ताव की तीन प्रतियॉं विधिवत स्वीकृति की संस्तुति हेतु प्रेषित की जा रही हैं।

संलग्न– आख्या 3 प्रति में

भवदीय,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

पत्रांक 1448 / 12-1-2 दिनांकित।

प्रतिलिपि– अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अनुपालन आख्यां को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर।

Nodal adikari

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2532/ 25-ब-प्रे0 दिनांक 22/10/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर।

विषयः– **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–कन्धार–पत्थरखानी से तल्लाधार–ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.760 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन।**

सन्दर्भः– 8बी0/यू0सी0पी0/06/98/2017/एफ0सी0/1621 दिनांक 28.12.2017

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या आपके माध्यम से तीन प्रति में भेजने के निर्देश दिये गये है। पूर्ण अनुपालन आख्या बिन्दुवार 4 प्रतियों में संलग्न कर प्रेषित की जा रही है।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

O/C

पत्रॉक 2532 / तद्दिनांक

प्रतिलिपि– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग इन्दिरानगर फौरेस्ट कालोनी देहरादून को सन्दर्भित पत्रों में दिये गये निर्देशों के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिलाधिकारी बागेश्वर को सन्दर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्राप्त

O/C

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–कन्धार–पत्थरखानी से तल्लाधार–ग्वालदम मोटर मार्ग **के निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.760 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन** प्रस्ताव पर भारत सरकार के पत्रॉक 8बी0/यू0सी0पी0/06/98/2017/एफ0सी0/1621 दिनांक 28.12.2017 द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या।

<u>अनुपालन आख्या</u>

उपरोक्त विषयक मोटर मार्ग में वनभूमि प्रस्ताव भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति पर अधिरोपित शर्तो बिन्दुवार पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के माध्यम से निम्नप्रकार प्रेषित की जा रही है।

1– शर्त संख्या 1 के अनुपालन में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 5.520 है0 ग्राम काफली कमेड़ा सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षो तक रख–रखाव हेतु रू0 15,38,231.00 मात्र (रू0 पन्द्रह लाख अड़तीस हजार दो सौ इकतीस मात्र) की धनराशि भुगतान RTGS/NEFT के माध्यम से UTR नं0 U000000522974764 Dtd 5.11.2018 द्वारा किया जा चुका है। साथ ही क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित भूमि 5.520 है0 ग्राम काफली कमेड़ा का जिलाधिकारी बागेश्वर के आदेश सं0 45/छब्बीस–वन/2017–18 दिनांक 17.01.2019 द्वारा, तहसीलदार कपकोट के पत्रॉक–344/र0का0/वन भू0ह0/2019 दिनांक 26.04.2019 द्वारा वन विभाग के नाम हस्तान्तरण /नामान्तरण कर दिया गया है। (संन्दर्भित पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न है।)

2– शर्त सं0 2 के अनुपालन में रू0 18,13,320.00 (रू0 अठारह लाख तेरह हजार तीन सौ बीस मात्र) एन0पी0वी0 की धनराशि भुगतान UTR नं0 U000000522974764 Dtd 5.11.2018 द्वारा RTGS/NEFT के माध्यम से कर दिया गया है।

3– शर्त सं0 3 के अनुपालन में सक्षम स्तर से एन0पी0वी0 की दरें में बढोत्तरी होने पर बढी हुई दर से अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने सम्बन्धित वचतबद्वता पहले ही प्रस्ताव में संलग्न किया गया है। प्रमाण पत्र पुनः संलग्न है।

4– शर्त सं0 4 के अनुपालन में शुद्व वर्तमान मूल्य एवं सभी दूसरी निधियॉ RTGS/NEFT के माध्यम से जमा कर दी गयी है। बैंक से प्राप्त यू0टी0आर0 की प्रमाणित प्रति संलग्न है।

5– शर्त सं0 5 के अनुपालन में प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त पडे स्थानों पर यथोचित वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।

6– शर्त सं0 6,7 एवं 8 की हार्ड कापी संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार संलग्नकों सहित पूर्ण अनुपालन आख्या भारत सरकार को प्रेषित करते हुए प्रस्ताव पर विधिवत स्वीकृति एवं भारत सरकार से भूमि हस्तान्तरण आदेष जारी कराने की कृपा करें।

संलग्न– (1) जिलाधिकारी के आदेश दिनांक 17.01.2019 की प्रति।
(2) तहसीलदार बागेश्वर के पत्र दिनांक 26.04.2019 खतोनी की प्रति सहित।
(3) RTGS/NEFT फार्म की प्रति।
(4) शासनादेश की प्रति, संलग्न है।
(5) प्रमाण पत्र।
(6) शर्त सं0 6,7 एवं 8 की हार्ड कापी।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर

पत्रांक – /2ई0व0भू0, दिनांक /10/2020

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेष्वर।

विषय :– **जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–कन्धार–पत्थरखानी से तल्लाधार–ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण।** प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/21509/2016)

सन्दर्भ :– पत्रॉक 8बी0/यू0सी0पी0/06/98/2017/एफ0सी0/1621 दिनांक 28.12.2017

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भ का अवलोकन करने का कष्ट करें, भारत सरकार द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निस्तारण कर निस्तारण आख्या निम्न प्रकार है :–

क्र0सं	लगायी गयी आपत्ति	आपत्ति का उत्तर
1	Employment details	Permanenent employees are shown Zero (0) and Temporary employment is shown 4x365x30=438000 manday.

Executive Engineer
Provincial Division PWD
Bageshwar

प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग बागेश्वर
पंजी. नं.
डायरी नं. 159
दिनांक 21-1-19

आदेश

संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी कपकोट की आख्या/संस्तुति के आधार पर जनपद अंतर्गत बागेश्वर–कंधार–पत्थरखानी से तल्लाधार–ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वन भूमि 2.760 है0 की दुगुनी अवनत भूमि 5.520 है0 जो ग्राम काफलीकमेड़ा राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र, कर्मी तहसील कपकोट जिला बागेश्वर के गैर जमीदारी विनाश खतौनी खाता संख्या–116 के पैमाईशी खेत नम्बर 8409 रकवा 47.975 है0 मध्ये कुल रकवा 5.520 है0 भूमि जो श्रेणी 9(3)क जंगल फौ0 पं0 के रूप में दर्ज भूमि को शासनादेश संख्या 2173/XVIII(II)2012–18 (120)/2012 दिनांक 17 दिसम्बर, 2012 तथा पर्यावरण,वन एंव जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार उत्तराखण्ड,देहरादून के पत्र संख्या–08बी/यू0सी0पी0/06/98/2017/एफ0सी0/1621 दिनांक 28.12.2017 में दी गयी शर्तो के अधीन क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में नामांतरित/हस्तांतरित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

16/01/19

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी,बागेश्वर ।

संख्या –45/ छब्बीस – वन /2017–18 दिनांक 17/01/19

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1– प्रभागीय वनाधिकारी,बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर।
2– संयुक्त मजिस्ट्रेट/उपजिलाधिकारी,कपकोट ।
3– अधिशासी अभियंता,प्रान्तीय खण्ड ,लोक निर्माण विभाग,बागेश्वर।
4– तहसीलदार,कपकोट को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त वर्णित भूमि का हस्तांतरण/नामांतरण वन विभाग के पक्ष में करते हुए संबंधित भूमि की खतौनी की एक–एक प्रति मय प्रमाण पत्र सहित वन विभाग तथा याचक विभाग को उपलब्ध कराते हुए अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करें।

जिलाधिकारी,
बागेश्वर।

वनभूमि सहायक
18/1/19

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

कार्यालय तहसीलदार कपकोट।

संख्या–344 / र०का० / वन भू0ह० / 2019 दिनांक 26 अप्रैल, 2019

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर।

विषय– **जनपद अन्तर्गत बागेश्वर– कंधार– पत्थरखानी से तल्लाधार–ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त 2.760 है० की दुगुनी अवनत भूमि 5.520 है० का क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त मोटर मार्ग से सम्बन्धित जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर के कार्यालय के आदेश संख्या– 45 / छब्बीस– वन / 2017–18 दिनांक 17 / 01 / 19 के अनुपालन में ग्राम काफलीकमेड़ा राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र कर्मी तहसील कपकोट जनपद बागेश्वर के गैर जमींदारी विनाश खतौनी खाता संख्या 116 के पैमायशी खेत नं० 8409 रकवा 47.975 है० मध्ये कुल रकवा 5.520 है० श्रेणी 9(3) क जंगल फौ० पं० के रूप में दर्ज भूमि को क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण / नामान्तरण दर्ज कर खतौनी उद्धरण मूल में संलग्न कर प्रेषित है।

तहसीलदार
कपकोट।

प्रतिलिपि :–

(1) जिलाधिकारी महोदय, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण के अवलोकनार्थ प्रेषित।
(2) अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, बागेश्वर को मय खतौनी उद्धरण प्रेषित।

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

तहसीलदार
कपकोट।

उद्धरण खतौनी अं० जा० कि०

ग्राम - काफलीकमेड़ा   रा० उ० नि० क्षे० - कर्मी   तह० - कपकोट

श्रेणी - ९(३) क - ऐसे वन जिनका वर्गीय कार्य या प्रशासन किसी वन सम्बन्धी विभाग द्वारा किया जाय

खाता सं०	नाम खातेदार	खेत संख्या	रकबा	विवरण
	जंगल	५०८७	१४२॥।	कौ० प० जंगल २२८
		६६५६	९८=	
		६६६८	८३	
		६६७२	५५६	
		६६७६	२	
		६६७८	७०॥।	
		६६८०	२२७॥।	
		६६८२	।।।—	
		६६८३	।॥	
		६६८४	।	
		६६८५	॥	
		| क्रमशः |	| क्रमशः |	
		६७३१	२०८	
		६७४२	१२	
		६७४४	३४	
		६७५५	३८	
		८४०९	४७	
		८४०८	२२८	
		१०३४१	६८१	
		१०३७०	८ ॥।	
	योग	५३	५४२	

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय बागेश्वर के आदेश सं० 45/इक्कीस-वन/2017-18 दि० 17/... के शासनादेश सं० 2173/XVIII(II)2012-18(120)/2012 दि० 17 दिसम्बर 2012 तथा पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार उत्तराखण्ड देहरादून के पत्र सं० -08 बी०/यू० सी० पी०/06/98/2017/एफ० सी०/1621 दि० 28.12.2017 में दी गयी शर्तों व अधीन ग्राम - काफलीकमेड़ा के पु० जा० ख० खा० सं० -116 के बेनाप खेत नम्बर 8409 रकबा 47.975 है० मध्ये कुल 5.520 हे० भूमि जो अभिलेख में कौ० प० के रूप में दर्ज अभिलेख भूमि को जनपद अन्तर्गत बागेश्वर - कन्यालीकोट पत्थर खानी से लल्वाधार - ग्वालदम मार्ग के निर्माण हेतु प्रयुक्त वनभूमि 2.760 हे० की दुगुनी 5.520 हे० भूमि को वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जाता है

(हस्ताक्षर)
रा० उ० नि०
कर्मी

Photo Copy Attested
(Signature)
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

मैंने यह उद्धरण खतौनी
(हस्ताक्षर) 24/05/19
राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र ....कर्मी.....
तह० कपकोट (बागेश्वर)

प्रतिहस्ताक्षरित,
(हस्ताक्षर)
तहसीलदार
तहसील कपकोट

1808-CCL/PWD

Core Treasury System (CTS UK)

E-Cheque Advise

Government Of Uttarakhand

e ChequeID :CC8900180811180006 Date :02-NOV-18

Code	:	1808	**Division Name**	:	Provincial Division P.W.D.
nt No.	:	PAC	**Scheme**	:	5054043370304 NV
le	:	XXXXX1234C	**Name**	:	Uttaranchal campa
ment Type :		Final Bill	**Project Name**	:	N.P.B PROJECTS PAYMENTS (PV)(5054048000307)

ALLOTED AMT : 141321305 EXPENDITURE AMT : 104650815 REMAINING AMT : 36670490

)/TO/STO

r

to Uttaranchal campa

n Bank IFSC Code CORP0000371 Account No.150896121509021 as per detail below.

1.	In Contractor Bank A/C	3351551
	GST TDS (CPIN :)	0
	Total Payment	3351551

t in words : (Rs. Thirty-Three Lac Fifty-One Thousand Five Hundred Fifty-One Only.)

iven above is checked by me personally and is correct.

Signature with Seal

DAO/Sr.DAO Provincial Division P.W.D. Bageshwar

Signature with Seal

Executive Engineer PD PWDBageshwar

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

For Treasury Use

lo.

)ate. / /

ID :CC8900180811180006 Date :02-NOV

Payment Id :

mount Rs. : 3351551.00

words :- (Rs. Thirty-Three Lac Fifty-One Thousand Five Hundred Fifty-One Only.)

unt Rs. : 3351551.00 Amount By TC Rs. : 0.00

t Signature ATO Signature CTO/Sr.TO/TO/STO Signature

जनपद बागेश्वर में कन्धार - पचरस्तम्भ से तल्लाधार - ग्वालदम मोटर मार्ग का निर्माण (NPV/CA)

Head of Account — AE

Form No. 28-HAND RECEIPT Passed for Rs 335155/-

(See Chap.XIP, Para 440, 446 and 460) AE

Cash Book Voucher No. 5 Date 2/11/18 20

(1) Paid by Cheque/Cash/Rupees(335155/-)to Sri UTTRANCHAL CAMPA

(2)Paid by Me..

RECEIVED for the E.E. P.D. P.W.D. ....in charge of Bageshwar

Sub-Divison............................AE... II ....Division the sum. of

Rs. 335155/- ....Name of work * or purpose of

which payment is made पत्रांक 564/2 दि० कैम्पा 05/2018-19 दि० 18-09-2018.

(Amount in Vernaculer) Rs. 335155/- only PAID VIDE CHEQUE No. CC 100006 Dated 2-11-18

583/L
No 127

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

Date 20

Signature of Payee

U.T.R. No - U000000522974764

Dtd. 05-11-2018

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

NEFT RTGS CHALLAN

PWD

-HOC CAMPA

IAL DIVISION PWD WAR
21
06/98/2017
NCHAL
al Division PWD warBageshwar
/-

Fifty-One Thousand Five

s per following

RANCHAL CAMPA
0000371
06121509021 l only for this llan amount.
oration Bank ni Complex Branch, k 11,CGO Complex, se I, Lodhi Road, New ii -110003

be used for making EFT/RTGS only for seven days.

BANK COPY

NEFT / RTGS CHALLAN for Ad-HOC CAMPA

Date : 17-10-2018

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6121509021
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/98/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	3351551/-

Amount In Words :Thirty-Three Lakh Fifty-One Thousand Five Hundred and Fifty-One Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	CORP0000371
Pay to Account No.	150896121509021 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Corporation Bank Lodhi Complex Branch, Block 11,CGO Complex, Phase I, Lodhi Road, New Delhi -110003

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only
- This challan is valid only for seven days.

ayment, User Agencies may send a line of confirmation through orpbank.co.in

3

5054048000201)

)6928

[illegible] with Seal [illegible]

PD PWDBageswar

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

1180008 Date :03-NOV-18

1/1 /TO/STO Signature

/Neft_ChallanCorp.aspx?pid=ROAD215092016021

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायू परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–मध्य क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZON))
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 98 / 2017 / एफ0सी0 / 1621

दिनांक: 28 / 12 / 2017

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर –कन्धार–पत्थरखानी से तल्लाधार–ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के पत्र संख्या– FP/UK/ROAD/21509/2016 दिनांक 12.07. 2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/21509/2016 एवं अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करना है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– **जनपद – बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर –कन्धार–पत्थरखानी से तल्लाधार–ग्वालदम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2. 760 है0 वन भूमि का उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 5.52 है0 ग्राम–काफली कमेड़ा सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षों तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3-/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्वता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cast, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will review and rectify the employment details uploaded at Para E Part-I.
7. State Govt. will provide scheme for planting 3000 trees in lieu of 3.00 ha area proposed for CA (out of total 5.52 ha area proposed for CA) falling in Very Dense/Moderately Dense forest.
8. State Govt. will provide hard copy (original/attested) of site inspection report of DFO and Part III, IV & V of the proposal.

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:—**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 5.52 है0 ग्राम–काफली कनेडा सिविल एव सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेबर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीमांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये प्रयोजन के अलावा अन्य किसी प्रयोजन के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 21 वृक्षों से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहा सम्भव हो, सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देखा–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तो का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय

(अजय कुमार)
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(अजय कुमार)
अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक

परियोजना का नाम:– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर– कन्धार–पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने प्रभावित होने वाली 2.760 है0 वन भूमि के दुगुने 5.52 है0 में वनीकरण हेतु क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना। वर्ष 2016–17

1 परियोजना का नाम– बागेश्वर– कन्धार–पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग निर्माण।

2 पौधारोपण स्थल का नाम– ग्राम .... तहसील ....जिला बागेश्वर — सिविल सोयम भूमि – क्षेत्रफल 5.52 है0

3 रोपित किये जाने वाले पोधों की संख्या – 5.52 X 1100 = 6072 पौधे

4 रोपित की जाने वाली प्रजाति – हरड़, आंवला, बहेड़, बांज, फल्यांट, क्यैराल, भीमल, शीठा आदि।

वर्ष 2016–17

क.सं.	कार्य का नाम	ईकाई / संख्या	दर प्रति	धनराशि
		3	4	5
	2	5.520	97.00	535.44
1		5.520	584.00	3223.68
1	क्षेत्र का सर्वेक्षण एवं एवं सीमांकन	5.520	7750.00	42780.00
2	स्थल सफाई एवं झाड़ी कटान।	5.520	315.00	146059.20
3	भूमि एवं जल संरक्षण कार्य आदि (10 है0 को आधार मानकर)	463.68	7.33	44507.76
4	कुली दीवाल निर्माण प्रति है0 84 घ0मी0 औसत	6072	485.00	2677.20
5	गड्ढा खुदान (0.30 x 0.30x 0.45)	5.520	5.89	35764.08
6	निरीक्षण बटिया	6072	LS	400.00
7	पौधों का मूल्य (प्रथम वर्ष)			275947.36
8	औजार तेज कराई 1– प्रथम चरण का योग		1.15	6982.80
1		6072	1.15	6982.80
1	गड्ढा भरान (0.30 x 0.30x 0.45)	6072	6.39	38800.08
2	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष ।	6072		
3	पौध ढुलान कार्य (25 % नंगी तथा 75 % वैग पौध रोपण तथा 25 कि.मी. वाहन व 3 कि0मी0 सिरबोझ औसत पर)	6072	2.06 0.76	12508.32 4614.72
4	पौधारोपण व थावलबंदी	6072	0.21	18.96
5	निराई गुड़ाई व मल्डिंग (दो बार)	6072	4768.00	26319.36
6	रसायनिक खाद व दवा प्रति सैकड़ा पौध।	5.520	350.00	1932.00
7	देखरेख व रखरखाव रोपण वर्ष में 8 माह (कम से कम 10 है0 पर)।	5.520	225.00	1242.00
8	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	5.520	400.00	2208.00
9	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520		
10	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ– प्रशिक्षण ब– प्रोत्साहन	5.520	200.00 LS	1104.00 700.00
		5.520		
11	अन्य व्यय जैसे साईन बोर्ड, वर्ष में 2–3 बार फोटोग्राफी, फील्ड स्तरीय कार्यों का प्रचार प्रसार एवं डैक्यूमैन्टेशन आदि कार्य।			103413.04
	2– द्वितीय चरण का योग	5.520	7152.00	39479.04
2				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त प्रथम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	5.520	350.00	1932.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	5.520	225.00	1242.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	310.00	1711.20
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ– प्रशिक्षण ब– प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00 45468.24
	3– तृतीय चरण का योग	5.520	7152.00	39479.04
3				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	5.520	350.00	1932.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।	5.520	225.00	1242.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	310.00	2543.86
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ– प्रशिक्षण ब– प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00 46300.90
	4– चतुर्थ चरण का योग	5.520	7152.00	39479.04
4				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	5.520	200.00	1104.00
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थों को हटाना।			

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	150.00	828.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ– प्रशिक्षण	5.520	310.00	1711.20
	ब– प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
5	5– पंचम चरण का योग			**44226.24**
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	5.520	7152.00	39479.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना।	5.520	350.00	1932.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	225.00	1242.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ– प्रशिक्षण	5.520	310.00	1711.20
	ब– प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
6	6– षष्टम चरण का योग			**45468.24**
1	रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	5.520	7152.00	39479.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना।	5.520	350.00	1932.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	225.00	1242.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ– प्रशिक्षण	5.520	310.00	1711.20
	ब– प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
7	7– सप्तम चरण का योग			**45468.24**
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	5.520	7152.00	39479.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना।	5.520	350.00	1932.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	225.00	1242.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियो को प्रोत्साहन देना। अ– प्रशिक्षण	5.520	310.00	1711.20
	ब– प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
8	8– अष्टम चरण का योग			**45468.24**
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	5.520	7152.00	39479.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना।	5.520	350.00	1932.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	225.00	1242.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ– प्रशिक्षण	5.520	310.00	1711.20
	ब– प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
9	9– नवम चरण का योग			**45468.24**
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह (कम से कम 10 है0 के आधार पर)।	5.520	7152.00	39479.04
2	2.1 वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घासफूस एवं ज्वलनशील पदार्थो को हटाना।	5.520	350.00	1932.00
3	2.2 सुरक्षा दीवाल/ घेरबाड़ के बाहर 4 मीटर पट्टी साफ करना।	5.520	225.00	1242.00
4	2.3 वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्निसुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/ समितियों को प्रोत्साहन देना। अ– प्रशिक्षण	5.520	310.00	1711.20
	ब– प्रोत्साहन	5.520	200.00	1104.00
10	10– दशम चरण का योग			**45468.24**
	महायोग (प्रथम + द्वितीय + तृतीय + चतुर्थ + पंचम + षष्टम + सप्तम + अष्टम + नवम + दशम चरण)			**742696.98**
	(सात लाख बयालीस हजार छः सौ सतानबे रूपये मात्र)		अर्थात् रू0	**742697.00**

वन क्षेत्राधिकारी
[illegible] (पुरड़ा)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
[illegible]
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P W.D Bageshwar

2.12

प्रपत्र– 46

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–कन्धार–पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग निर्माण।

पथ वृक्षारोपण किये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वन विभाग द्वारा सड़क निर्माण के उपरान्त प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा उपलब्ध करायी गयी धनराशि से सड़क के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर उचित प्रजातियों का रोपण किया जायेगा।

पथ वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

–––प्राक्कलन संलग्न हैं–––

वन क्षेत्राधिकारी
[illegible] (पुरड़ा)

उपप्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर
बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा।

2.37

प्रपत्र– 51

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर– कन्धार–पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग निर्माण।

एन0पी0वी0 की बढ़ी दरों के अनुसार अतिरिक्त धनराशि जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र।

प्रमाणित किया जाता है कि यदि भविष्य में मा0 उच्चतम न्यायालय / भारत सरकार द्वारा एन.पी.वी. की वर्तमान दरों में कोई बढ़ोत्तरी की जाती है तो एन.पी.वी. की बढ़ी हुई धनराशि का भुगतान वन विभाग की मांग के अनुसार किया जायेगा।

सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

नोट– उक्त प्रमाण पत्र प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा निर्गत कर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जाना है।

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

प्रपत्र–2

परिशिष्ठ
(देखिय नियम–6)

राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों द्वारा प्रस्तावों की धारा–2 के अन्तर्गत पूर्व अनुमति लेने का फार्म

भाग–1

(प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भरे जाने के लिए)

क.सं.	परियोजना विवरण :–	
1	क) अपेक्षित वन भूमि के लिए प्रस्ताव /परियोजना/स्कीम का संक्षिप्त विवरण।	**जनपद बागेश्वर में विधानसभा क्षेत्र बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर– कन्धार–पत्थरखानी मोटर मार्ग को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग निर्माण।**
	ख) 1:50,000 स्केल मैप पर वन भूमि और उसके आस–पास के वनों की सीमाओं को दर्शाने वाला मैप।	संलग्न है।
	ग) परियोजना की लागत।	रू0 27.68 लाख (प्रथम चरण सर्वेक्षण एवं वन भूमि प्रस्ताव हेतु। शासनादेश की प्रति प्रस्ताव में संलग्न है) वन भूमि स्वीकृति उपरान्त निर्माण हेतु शासन द्वारा धनराशि स्वीकृत की जायेगी।
	घ) वन क्षेत्र में परियोजना स्थापित करने का औचित्य।	विस्तृत औचित्य प्रस्ताव में संलग्न है।
	ड.) लागत लाभ विश्लेषण (संलग्न किये जाने के लिए)	प्रस्ताव 5 हैक्टेयर से कम का है। अतः लागू नहीं है।
	च) रोजगार जिनके पैदा होने की संभावना है।	मार्ग निर्माण के दौरान लगभग 60–65 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्र में ही नये रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे जिससे युवाओं का शहरों की ओर पलायन रूकेगा।
2	कुल अपेक्षित भूमि का उद्देश्यवार विवरणः	आरक्षित वन भूमि– 1.989 है0 सिविल सोयम वन भूमि – 0.771 है0 वन पंचायत भूमि – 0.00 है0 **कुल वन भूमि – 2.760 है0** नाप भूमि – 0.776 है0 **कुल भूमि :– – 3.536 हैक्टेयर** (कच्चा ग्रामीण मोटर मार्ग निर्माण हेतु)
3	परियोजना के कारण लोगों को हटाने का विवरण, यदि कोई हों, क) परिवारों की संख्या	आवश्यकता नहीं है। लागू नहीं है।
	ख) अनुसूचित जाति/जनजाति के परिवारों की संख्या	लागू नहीं है।
	ग) पुर्नवास योजना (संलग्न किये जाने के लिए)	आवश्यकता नहीं है।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

4	क्या पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत मन्जूरी आवश्यक है ? (हां / नही)	मोटर मार्ग कच्चा निर्मित होना है। अतः पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अन्तर्गत मंजूरी की आवश्यकता नहीं है।
5	प्रतिपूरक वनीकरण करने तथा उसके अनुरक्षण और या दण्ड स्वरूप प्रतिपूरक वनीकरण की लागत के साथ–साथ राज्य सरकार द्वारा तैयार की गई योजना के अनुसार संरक्षण लागत और सुरक्षा क्षेत्र आदि में पुनः वनीकरण की वचनवद्धता (वचनवद्धता संलग्न की जाये)	सामान्य नियमों के अन्तर्गत दुगुने सिविल सोयम भूमि में वनीकरण हेतु 10 वर्षों तक रखरखाव का प्राविधान करते हुए क्षतिपूरक वनीकरण आंगणन एव मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर वृक्षारोपण का आंगणन वन विभाग से प्राप्त कर प्रस्ताव में लगाया गया है। वृक्षारोपण व्यय, एन0पी0वी0 तथा मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर पौधारोपण में आने वाला व्यय लोक निर्माण विभाग द्वारा बहन करने सम्बन्धी बचनबद्धता भी प्रस्ताव में संलग्न है।
6	निर्देशों के अनुसार संलग्न अपेक्षित प्रमाण पत्रों / दस्तावजेजों का ब्यौरा।	सभी प्रमाण पत्र प्रस्ताव में संलग्न हैं एवं हस्ताक्षरित है।

दिनांक..................

स्थान– बागेश्वर

प्रयोक्ता ऐजेन्सी के हस्ताक्षर, नाम, मुहर

(के0एस0 मेहता)
सहायक अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

(राजेश कुमार पुनेठा)
अधिशासी अभियंता
प्रान्तीय खंड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

प्रस्ताव की कम संख्या..
(प्राप्ति की तारीख के साथ नोडल अधिकारी द्वारा भरा जायेगा)

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D. Bageshwar

प्रपत्र–7

SITE ISPECTION REPORT- NOT BELOW THE RANK OF DCF
(for the forest land to be diverted under FCA)

5.1 A proposal had been received by this office from Executive Engineer, Provincial Division PWD Bageshwar for diversion under FCA 1980 of **2.760 hact.** Of forest land for non-forestry purpose. The project envisages the use of forest land for construction/**Extension of Bageshwar-Kandhar-Patharkhani Motor Road via Talladhar to Gwaldam Motor Road** The site inspection of the land involved in the proposal has been done by me on dated--------------------.

5.2 On inspection of the site, it is found that the land required by the user agency is a RF/ PF/ un-classed/ other forests measuring **2.760 ha.**

5.3 The requirement of forest land as proposed by the user agency in Col. 2 part I is unavoidable and is barest minimum required for the project. Yes

5.4 Whether any rare/ endangered/ uique species of flora and fauna found in the area. If, so the details there of :- No.

5.5 xx..Whether any protected archological / heritage site/ defence establishment or any other important monument is located in the area, if so the details thereof with NOC from competent authority, if required. No

(a) The user agency has not violated the provisions of forest (Conservation) Act 1980 and no work has been started without proer sanction. √

(b) It has been found that the user agency has violated (Conservation) Act 1980 and provisions. A details report as per para 1.9 of chépter I, para C of Hand book of forest (Conservation) Act, 1980 attached.-X

Specific recommendation for acceptance or otherwise of the proposal.

Signature

Place- Bageshwar
Date ----------------20

Name
Designation (M.R. Singh)
Office Seal
प्रभागीय वनाधिकारी

N.B/ x State the purpose for which the forest land is propised to be diverted.
xx Out of (a) and (b) tick the option which is applicable and cross the option which is not applicable.

As per letter number 2-2/ 2000 FC dated 16.10.2000 from Ministry of Environmet & Forest, Government of India for proposal involving less than 40 hactares of forest land, the site inspection report from DCF is required and for proposals involving more then 40 hacters of forest land site inspection report from the Conservator of forest is required.

Photo Copy Attested
Assistant Engineer
P.D.P.W.D Bageshwar

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर

पत्रांक 2297/3ई0प.25 दिनांक 23/08/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,
बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–कन्धार–पत्थरखानी से तल्लाधार–ग्वालदम मोटर मार्ग निर्माण में प्रभावित होने वाली 2.760 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु प्रत्यावर्तन प्रस्ताव।

सन्दर्भः– आपका पत्रांक 4244/12–1–2 बागेश्वर दिनांक 15.03.2024

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार द्वारा जारी सैद्वान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो की पूर्ण अनुपालन आख्या प्रभागीय वनाधिकारी के पत्र सं0 1442/12–1–2 बागे0 दिं0 07.11.2020 द्वारा विधिवत स्वीकृति हेतु नोडल कार्यालय देहरादून को प्रेषित की जा चुकी है। पॉच वर्ष से अधिक समय से विधिवत स्वीकृति प्राप्त न होने के कारण आपके उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में एन0पी0वी0 की अतिरिक्त देय धनराशि रू0 9,61,060.00 की मॉग की गई थी, जिसे (CAMPA) के तदर्थ निकाय खाते में online Portal के माध्यम द्वारा जो चालान Generate होता है उसी के माध्यम से धनराशि UTR No-SBIN524229363286 dtd 16.08.2024 द्वारा अतिरिक्त एन0पी0वी0 की देय धनराशि जमा की जा चुकी है तथा (चालान की प्रति संलग्न)।

अतः उक्त कार्यवाही उपरान्त संलग्नकों सहित सूचना तीन प्रति में अपने स्तर से नोडल अधिकारी देहरादून को विधिवत स्वीकृति जारी करने की संस्तुति सहित अग्रसारित करते हुए उसकी सूचना इस कार्यालय को भी देने की कृपा करें।

संलग्न– सूचना 4 प्रतियों में संलग्नकों सहित।

23/8/24

डिस्पैच
बागेश्वर वन प्रभाग
बागेश्वर

भवदीय,
23/8/24
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com

दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक 4244 / 12-1-2   बागेश्वर, दिनांक : 15 / 03 / 2024

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0विभाग,
बागेश्वर।

विषय – जनपद बागेश्वर के अन्तर्गत बागेश्वर–कन्यार–पत्थरखानी से तल्लाधार–ग्वादलम मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.760 है0 वन भूमि में अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा किये जाने के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ : – सहायक वन महानिरीक्षक, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र संख्या 5–3/2011–FC(Vol-I) दिनांक 19.01.2022।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र कम में भारत सरकार द्वारा वन भूमि प्रत्यावर्तन प्रकरणों में एन0पी0वी0 की देय धनराशि के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश जारी किये गये है। कि ऐसे वन भूमि हस्तान्तरण प्रकरण सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत किया 05 वर्ष पूर्ण होन के उपरान्त तक विधिवत स्वीकृति प्राप्त नहीं की [illegible] भुगतान किया जाना है। गयी है, में एन0पी0वी0 की नयी दरों के अनुसार अतिरिक्त देय धनराशि का भुगतान किया जाना है।

अतः उपरोक्त के दृष्टिगत भारत सराकर के सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित निर्देशों के अनुपालनार्थ के कम में उक्त प्रस्ताव में भारत सरकार द्वारा दिनांक 28 दिसम्बर 2017 को सैद्धान्तिक [illegible] प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त हुए पाँच वर्ष पूर्ण होने के कारण एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के सम्बन्ध [illegible] द्वारा सत्यापित करने के धनराशि के मांग पत्र को ऑन लाईन कर नोडल अधिकारी कार्यालय देहरादून द्वारा सत्यापित करन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क्र0 सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	वर्तमान दर प्रति (लाख में)	जमा की जाने वाली धनराशि (लाख में)	जमा की गयी धनराशि (लाख में)	अवशेष धनराशि (लाख में)
1	एन0पी0वी0	2.760 है0	5	0.1	1005210.00	27,74,380.00	18,13,320.00	9,61,060.00
	कुल योग					27,74,380.00	18,13,320.00	9,61,060.00

(उमेश चन्द्र तिवाड़ी)
प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

AE II / Amean / LAC

"D:\samany 2018-19\land transfer\chhanan/ P.M.G.S.Y BGR 221018docx"

उत्तराखण्ड सरकार
फोन/फैक्स नं0–05963–220006

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0 बागेश्वर।
E-mail id- pdpwdbgr@gmail.in

PWD Uttarakhand

पत्रांक 2257 /कैश दिनांक 16/08/2024

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,
भारतीय स्टेट बैंक
बागेश्वर।

विषय :– अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम आहरित धनराशि को उत्तरांचल कैम्पा में NEFT/RTGS करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद बागेश्वर–कन्धार–पत्थरखानी मोटर को आगे बढ़ाते हुए तल्लाधार होते हुए ग्वालदम तक मोटर मार्ग का निर्माण (05 किमी0) भूमि हे0 2.76 कार्य हेतु अतिरिक्त एन0पी0वी0 धनराशि जमा करने हेतु कोषागार बागेश्वर से प्राप्त अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर के नाम बैंकर्स चैक सं0– 640399 दिनांक 10.07.2024 रू0 9,61,060.00 मात्र की धनराशि उत्तरांचल कैम्पा के खाता सं0– 150896121509870 IFSC Code-UBIN0996335 में NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करने का कष्ट करें।

संलग्न :– बैंकर्स चैक सं0– 640399 दिनांक 10.07.2024 रू0 9,61,060.00 मात्र मूल में।

14/8/24

(इं0 धन सिंह कुटियाल)
अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

14/8/24

पत्रांक :– /कैश, तद् दिनांक।
प्रतिलिपि, सहायक अभियन्ता प्रभारी, प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0, बागेश्वर को सूचनार्थ प्रेषित।
प्रतिलिपि, वनभूमि सहायक, प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, बागेश्वर।

अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0
बागेश्वर।

भारतीय स्टेट STATE BANK OF INDIA (01693) बागेश्वर Bageshwar

16/08/24

सहायक
प्रान्तीय खण्ड लो0 नि0 वि0
बागेश्वर

Scanned with CamScanner

AGENCY COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 14-08-2024

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6121509870
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/98/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address.	Provincial Division PWD BageshwarBageshwar
Amount(in Rs)	961060/-

Amount in Words :Nine Lakh Sixty-One Thousand and Sixty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896121509870 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre,21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

BANK COPY

यूनियन बैंक ऑफ़ इंडिया Union Bank of India

NEFT / RTGS CHALLAN for CAMPA Funds

Date : 14-08-2024

Agency Name.	PROVINCIAL DIVISION PWD BAGESHWAR
Application No.	6121509870
MoEF/SG File No.	8B/UCP/06/98/2017
Location.	UTTARANCHAL
Address:	Provincial Division PWD Bageshwar Bageshwar
Amount(in Rs)	961060/-

Amount in Words :Nine Lakh Sixty-One Thousand and Sixty Rupees Only

NEFT/RTGS to be made as per following details;

Beneficiary Name:	UTTARANCHAL CAMPA
IFSC Code:	UBIN0996335
Pay to Account No.	150896121509870 Valid only for this challan amount.
Bank Name & Address:	Union Bank Of India FCS Centre, 21/1, III Floor, Jelitta Towers, Mission Road, Bengaluru-560027

- This Challan is strictly to be used for making payment to CAMPA by NEFT/RTGS only

Note: After making the required payment through challan, if the payment status has not been updated even after 7 working days, then kindly mail a copy of your challan with transaction date and reference id to Email: fcsblr@unionbankofindia.bank , epurse@unionbankofindia.bank, ubin0903710@unionbankofindia.bank

UTR- SBIN524229363286

14/8/24

Executive Engineer
Provi. Division P.W.D
Bageshwar

14/8/24

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०
बागेश्वर

भारतीय स्टेट बैंक STATE BANK OF INDIA (01693) बागेश्वर Bageshwar

Scanned with CamScanner